तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.11.2022	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा में पेश हुई। वकील अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या एक स्वयं उपस्थित। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत अपील जरिये विड्रो खारिज करने पेश कर निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में मूल दावे में अंतिम डिक्री जारी होकर निस्तारण हो चुका है। लिहाजा हस्तगत अपील प्रभाव हीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से विधिनुसार खारिज फरमायी जावे। रेस्पोडेंट संख्या एक ने वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया तथा लोक अदालत की भावना से अपील जरिये विड्रो खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील विचारण न्यायालय के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की हुई है। वकील अपीलांट के कथनानुसार विचारण न्यायालय में मूल दावे का अंतिम निर्णय हो जाने से हस्तगत अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रति सूचनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	12/11/2022